रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 1978/आषाढ़ 1, 1900
No. 184] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 1978/ASADHA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 22 जून, 1978.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 332(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमो का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1978 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, अध्याय 5 में,—

(1) नियम 92-ख में—

(i) उपनियम (2) और (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(2) उपनियम (1) के अधीन देय राशि का परिकलन विनिर्माता द्वारा नियम 92ग के अधीन दिए गए आवेदन में घोषित और खाण्डसारी चीनी के उत्पादन के लिए लगाए गए सेन्ट्रीफ्यूगलो की संख्या और आकार पर समुचित दर लागू करके किया जाएगा और पूर्वोक्त राशि उसी तारीख से सदेय होगी जिस तारीख को घोषित किए गए और लगाए गए सेन्ट्रीफ्यूगल मौसम के दौरान विनिर्माण कार्य आरम्भ कर देते हैं और उस तारीख तक सदेय होगी जिस तारीख को उस मौसम में सेन्ट्रीफ्यूगल बंद हो जाते है।

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "मौसम" की गणना, नवम्बर के प्रथम दिन से ठीक आगामी वर्ष के जून के तीसवे दिन तक और आगामी जुलाई के प्रथम दिन से उस वर्ष के अक्टूबर के इकत्तीसवे दिन तक की जाएगी;

(ख) खाण्डसारी चीनी का उत्पादन करने वाले किसी एकक के शुल्क देने के दायित्व का परिकलन करते समय वह अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी जिसकी बाबत कलक्टर का समाधान हो जाता है कि घोषित किया गया या लगाया गया कोई सेन्ट्रीफ्यूगल उस अवधि के दौरान बन्द रहा या उसे खोल डाला गया था ;

(ii) उपनियम (3) मे "विनिर्माण कार्य" शब्द से पूर्व "पूर्णतः या अंशतः" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) नियम 92-घ में "17" अकों के स्थान पर "45, 47" अंक रखे जाएंगे।

[सं० 134/78-केन्द्रीय उत्पादनशुल्क/फा.सं० 14/28/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-1]

बी० प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd June, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (Tenth Amendment) Rules, 1978.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V,—

41) in rule 92-B—

(i) for sub-rules (2) and (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

'(2) The sum payable under sub-rule (1) shall be calculated by applying the appropriate rate to the number and size of centrifugals, declared by the manufacturer in the application made by him under rule 92C and installed by him for the manufacture of Khandsari Sugar and the sum aforesaid shall be payable from the date on which the centrifugal, declared and installed, commence manufacturing operation during the season to the date on which the centrifugals close down in that season.

Explanation :—For the purposes of this sub-rule—

(a) "season" shall be reckoned from the 1st day of November to the 30th day of June of the year next following ; and from the 1st day of July next following . to the 31st day of October of that year ;

(b) in computing the liability of any unit producing Khandsari Sugar for duty, the period which the Collector is satisfied that any declared and installed centrifugals had remained closed or dismantled, shall be excluded ;'

(ii) in sub-rule (3), after the words "manufacturing operations", the words "fully or partially" shall be inserted ;

(2) in rule 92D, for the figures "47", the figures "45, 47" shall be substituted.

[No. 134/78-CE/F. No. 14/28/77 CX. 1]

B. PROSAD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978